

13/4/18

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल अधिकता
अनुपस्थित। तीन बार प्रवाण लगाई गई
लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुआ। अतिक्रमी
को 25/2/18 को नोटिस लामिल हुआ उसके
पश्चात अनेक बार जवाब/साक्ष्य प्रस्तुत करने
का अवसर दिया गया लेकिन अतिक्रमी
अथवा उनके अधिकता द्वारा कोई जवाब
प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे स्पष्ट
है कि गैर सायल इस संदर्भ में कुछ भी
कहना नहीं चाहते हैं। एवं किसी प्रकार
का साक्ष्य (न्याय संगत) भी नहीं है।
अतः गैर सायलान को अतिक्रमी चौकित
किया जाता है। निर्णय अलग से लिखा
जाकर प्रस्तुत है। निर्णय शुद्ध न्यायालय
में सुनाया गया पत्रावली फेसल सुधार
होकर नम्बर से कठ है।

~~13~~
नायब तहसीलदार सिणधरी

वर्ष 2018-19 के राजस्व लेखा पंजिका सं. 4 के
पृष्ठ सं. 2 पर क्र.सं. 3 पर जुमाना/फसल
विलापी राशि रु. 150+1350 की मांग दर्ज की गई।
1500
13-7-18
तहसील राजस्व लेखाकार
तहसील सिणधरी

